न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 81/2006

निर्मलसिंह बनाम मुखराम

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुभाष मिढ्ढ़ा अधिवक्ता –वादी
2. श्री काशीराम रिणवा अधिवक्ता –प्रतिवादी

दिनांक :– 26.02.2020

–:: आदेश ::–

प्रतिवादी द्वारा दिनांक 21.12.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया जिसके तथ्यानुसार वादी ने वाके चक 2 एच एच प्रथम तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 25/25 मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 6 की 0.190 है0 भूमि के बारे में स्थाई निषेधाज्ञा हेतू वाद प्रस्तुत किया है। वादी व वादी के भाई ने उक्त वादग्रस्त भूमि जरिये ईकरारनामा बैय दिनांक 22–06–1988 को प्रतिवादी के पिता को विक्रय कर कब्जा भूमि दे दिया था और वादी द्वारा उक्त ईकरारनामा की पालना न करने पर मिन प्रतिवादी व अन्य वारिसान ने वादी के विरूद्ध ईकरारनामा की पालना करवाने बाबत वाद सिविल न्यायालय मे प्रस्तुत किया और सिविल न्यायालय ने मिन प्रतिवादी का ईकरारनामा सही मानकर वादी का कब्जा नक मानकर मिन प्रतिवादी का कब्जा माना है और वादी को बैयनामा करवाने का आदेश दिया है। आदेश की नकल संलग्न आवेदन पत्र है। ऐसी सूरत में कोई वादकारण उपलब्ध नहीं रहा है और दावा वादी वाद कारण उपलब्ध न होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी वादकारण उपलब्ध न होने से निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rathu
Date: 2021.06.10 16:53:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्रार्थना पत्र के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.12.2018 की प्रमाणित प्रति पेश की।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का जवाब पेश न कर बहस समाहित करने का निवदेन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.12.2018 का अवलोकन कर मनन किया गया। सिविल न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का ईकरारनामा सही मानकर वादी का कब्जा नक मानकर प्रतिवादी का कब्जा माना है और वादी को बैयनामा करवाने का आदेश दिया है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे श्रीमान् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश संख्या 1 श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 13.12.2018 को किसी अन्य न्यायालय में चुनौती दी गई हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया हो। ऐसी स्थिति में वादी इस वाद में किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

आदेश दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा शामिल पत्रावली किया गया।

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ummed Singh Ratnoo
Date: 2021.06.10 16:53:31 IST
Reason: SelfAttested